बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषय :– **बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थानों से कतिपय शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर रु० 15,000.00 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़ रूपये), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) एवं रु० 6,000.00 करोड़ (छः हजार करोड़ रूपये), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में।**

पथ निर्माण विभाग के अधीन स्वीकृत योजनाओं के ससमय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकांश योजनाओं को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में है। BSRDCL एवं BRPNNL को विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित ऐसी योजनाएं, जो किसी अन्य वित्तीय संस्था/बैंक से वित्त पोषण के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है तथा जिनकी लागत राशि रु० 50 करोड़ से अधिक है, के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार की गारन्टी पर सफल क्रियान्वयन हेतु क्रमशः अधिकतम राशि रु० 15000 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़) एवं रु० 6000 करोड़ (छः हजार करोड़) का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से निम्न शर्तों के साथ प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :–

(1) (i) प्रशासी विभाग BSRDCL एवं BRPNNL के ऋण उगाही पर संबंधित बोर्ड का सहमति प्राप्त किया जायेगा।

(ii) BSRDCL एवं BRPNNL द्वारा लिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि क्रमशः रु० 15000 करोड़ एवं रु० 6000 करोड़ होगी, जिसमें एक वर्ष का Interest During Construction (IDC) भी सम्मिलित होगा।

(iii) ब्याज दर– Floating (Fixed for One Year) होगा।

(iv) Moratorium Period तीन वर्ष का होगा।

(v) ऋण वापसी किस्तों में की जायेगी, जिसकी अधिकतम अवधि 25 वर्ष होगी।

(vi) ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थान तथा उक्त दोनों निगमों के पारस्परिक सहमति से अन्य बिन्दु/शर्ते जिस पर पथ निर्माण विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई हो।

(vii) निगम Project-wise ऋण लेगा एवं प्रत्येक Project Loan के संबंध में अलग– अलग State Guarantee प्राप्त करेगा एवं उक्त State Guarantee के प्रस्तावों में Project detail, Borrower Detail, Lender Detail, Loan Amount, Guarantee amount, Rate of Interest, Disbursement Schedule एवं Loan Repayment Schedule रहेगा।

(viii) इसके साथ ही हर Project का Completion time, operationalise होने की अनुमानित तिथि, Project से आने वाली अनुमानित आय जिसके विरूद्ध ऋण चुकाना हो, का विस्तृत विवरण रहेगा।

(ix) Financial Analysis के अन्तर्गत

(a) Project wise IRR (Internal rate of return) calculation किया जायेगा।

(b) Debt Service coverage ratio की गणना की जायेगी।

(x) Escrow Account का संधारण– उपयोगकर्त्ता शुल्क एवं प्राप्त ऋण के लिए Escrow Account का इस्तेमाल किया जायेगा। उपयोगकर्त्ता शुल्क से प्राप्त राशि प्राथमिकता के रूप में ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी में इस्तेमाल होगा।

(xi) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267, दिनांक 23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत गारंटी शुल्क लिये गये ऋण का न्यूनतम 0.25 प्रतिशत एवं पूर्व वर्ष के अवशेष ऋण का 0.25 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष राजकोष में जमा किया जायेगा।

(xii) वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1267, दिनांक 23 जुलाई 2025 के अन्तर्गत राज्य सरकार परियोजना हेतु ऋण के 80 प्रतिशत की अधिसीमा में गारंटी प्राप्त की जायेगी।

2. ऋण (मूलधन+ब्याज) की ससमय वापसी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बिहार पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 के अन्तर्गत पथों एवं संरचनाओं पर वसूल किए जाने वाली पथ उपयोगकर्त्ता शुल्क की राशि से की जायेगी।

3. विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत दोनों निगमों (BSRDCL & BRPNNL) द्वारा ऋण लेने हेतु न्यूनतम ब्याज दर एवं न्यून शर्तों के आधार पर अलग–अलग संस्था का चयन किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7/विविध–04–18/2026 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(39) आइ० टी० मैनेजर,

ज्ञापांक :– प्र०7 / विविध–04–18 / 2026 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / विविध–04–18 / 2026 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / विविध–04–18 / 2026 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना / सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / विविध–04–18 / 2026   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– प्र०7 / विविध–04–18 / 2026 4507(S) पटना, दिनांक– 06/7/26

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।